उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

म्युटेशन अपील नं0-16/2019-20

समियल मुर्मू वगै0

बनाम्

सुशील हेम्ब्रम वगै0

—: आदेश :—

दिनांक
14.12.21

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों को अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता समियल मुर्मू, पिता—स्व0 अर्जुन मुर्मू वो रोहित मुर्मू, पिता—स्व0 सोनेलाल मुर्मू, सा0—अमरपुर(प्रेम टोला), थाना—गोड्डा टाउन, जिला—गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के म्युटेशन केश नं0—235/1990—91 आदेश दिनांक—16.11.1992 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने म्युटेशन केश नं0—235/1990—91 आदेश दिनांक—16.11.1992 के द्वारा मौजा—अमरपुर (प्रेम टोला) जमाबंदी नं0 104 के अंतर्गत रकवा 04—18—09 धुर जमीन सालोमी मरण्डी के नाम से म्युटेशन किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा—अमरपुर नं0 534 जमाबंदी नं0 104 कुल रकवा 09—06—18 धुर जमीन पान्डु मुर्मू एवं सोना मुर्मू के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। सोना मुर्मू को तीन पुत्र दानदो मुर्मू, मारकोस मुर्मू एवं अर्जुन मुर्मू हुए। तीनों उक्त जमाबंदी के जमीन पर दखलकार हुए। पान्डु मुर्मू को एक पुत्र संग्राम हुए, संग्राम मुर्मू को कोई पुत्र औलाद नहीं है। सालोमी मरण्डी स्व0 संग्राम मुर्मू की पत्नी है। उन्होंने उक्त जमाबंदी के आधा जमीन का नामांतरण के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में आवेदन दाखिल कर अपने नाम से उक्त जमीन का म्युटेशन करा लिया। इसकी जानकारी अपीलकर्त्ता को वर्ष 2017 में हुआ। उन्होंने इसके लिए सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी, शिविर गोड्डा में आपत्ति वाद सं0 10564/2017 दायर किया था। बाद में उक्त आपत्ति वाद को वापस ले लिया। उनका आगे कहना है कि अपीलकर्त्ता गत जमाबंदी रैयत सोना मुर्मू के पोता है। जबकि उत्तरवादीगण सालोमी मरण्डी के पुत्री एवं नाती है और संताल कस्टमरी लॉ के अनुसार पुत्री को

पिता की जमीन पर कोई हक और दावा नहीं होता है। संताल कस्टमरी लॉ के अनुसार घर जमाय शादी की स्थिती में ही पुत्री को पिता की जमीन पर हक होता है। स्व0 संग्राम मुर्मू के सभी पुत्री का शादी सामान्य रिति से हुआ है। इसलिए उनलोगों का अपीलवाद जमीन पर कोई हक और दावा नहीं बनता है। उनका आगे कहना है कि गत जमावंदी रैयत सोना मुर्मू के पुत्र दानदो मुर्मू को भी एक पुत्री रानी मुर्मू है, जिनकी शादी सामान्य रिति से होने के कारण रानी मुर्मू के द्वारा अपने पिता की जमीन पर दावा नहीं की जा रही है। इस प्रकार अपीलकर्त्ता ही उक्त जमावंदी की सम्पूर्ण जमीन का हकदार है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने अनुमंडल पदधिकाकरी, गोड़डा के न्यायालय के म्युटेशन केश नं0–235/1990–91 आदेश दिनांक–16.11.1992 को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता के द्वारा अपील आवेदन के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन दिया है। अपीलवाद में वर्णित तथ्यों के आलोक में उत्तरवादी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिश दिया गया।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–अमरपुर नं0–534 जमाबंदी नं0–104 पांडू मुर्मू एवं सोना मुर्मू के नाम से दर्ज है। पांडु मुर्मू का पुत्र संग्राम मुर्मू हुए। संग्राम मुर्मू की पत्नि सालोमी मरंडी है। संग्राम मुर्मू की पत्नि होने के हैसियत से उक्त जमाबंदी की आधे जमीन पर सालोमी मरंडी दखलकार है एवं अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने नियमानुसार सालोमी मरंडी के नाम से उक्त जमीन के आधे जमीन का म्यूटेशन किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय का पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–अमरपुर नं0–534 जमाबंदी नं0–104 रकवा 09–16–18 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में पांडु मुर्मू वल्द सूना मुर्मू वल्द दसू मुर्मू कौम संताल शा0 देह प्रेमटोला के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत आधा जमीन का सालोमी मरंडी के नाम से निम्न न्यायालय के द्वारा नामांतरण किया गया है। अपीलकर्त्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता ही उक्त जमाबंदी के जमीन का हकदार है, क्योंकि जमाबंदी रैयत के अन्य वारिस संग्राम मुर्मू एवं दानदो मुर्मू

का कोई पुत्र औलाद नहीं है। सिर्फ पुत्री है और संताल कस्टमरी लॉ के अनुसार पैतृक सम्पति पर पुत्री का कोई हक नहीं बनता है। यह स्पष्ट है कि सालोमी मरंडी, संग्राम मुर्मू की पत्नि है एवं इस तथ्य को अपीलकर्त्ता के द्वारा भी इनकार नहीं किया गया है। इस प्रकार सालोमी मरंडी के नाम से किया गया नामांतरण युक्तिसंगत प्रतीत होता है एवं निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के म्युटेशन केश नं0–235/1990–91 आदेश दिनांक–16.11.1992 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:55:33 +05:30
Location: 192.168.29.8